

फा. सं. ए-43011/104/2022-प्रशा.। (ई21511)

भारत सरकार  
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
मत्स्यपालन विभाग

प्रथम तल, चंद्र लोक बिलिंग,  
36 जनपथ, नई दिल्ली  
दिनांक 6 मार्च, 2024

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: मत्स्यपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ सलाहकार (मात्स्यकी) के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

मत्स्यपालन विभाग में अनुबंध के आधार पर एक कनिष्ठ सलाहकार (मात्स्यकी) को नियुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसकी प्रारंभिक अवधि छह माह से अधिक नहीं होगी, जिसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ाया जा सकता है-

1.	पद का नाम	कनिष्ठ सलाहकार (मात्स्यकी)
2.	कुल रिक्तियां	01
3.	सगाई की अवधि	प्रारंभिक अवधि छह महीने के लिए, जिसे बढ़ाया जा सकता है
4.	नौकरी का स्थान	नई दिल्ली
5.	पात्रता मापदंड	<p>आवश्यक:- मत्स्य विज्ञान या जलकृषि या प्राणि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, मात्स्यकी या समुद्री जीव विज्ञान या औद्योगिक मात्स्यकी या जलकृषि इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ</p> <p>वांछित:- मत्स्य विज्ञान या जलकृषि या प्राणि विज्ञान में पीएचडी (या पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं) मात्स्यकी या समुद्री जीव विज्ञान या औद्योगिक मात्स्यकी या जलकृषि इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ</p> <p>या</p> <p>जलकृषि या समुद्री कृषि गतिविधियों या मात्स्यकी, पोस्ट हार्वेस्ट प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन या मात्स्यकी व्यापार या मात्स्यकी या जलकृषि में अनुसंधान में योजनाओं या परियोजनाओं के निर्माण या कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुभव।</p>
6.	आयु पात्रता	01.04.2024 को आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए

7.	काम की गुंजाइश	जलकृषि या समुद्री कृषि गतिविधियों या मात्स्यकी, पोस्ट हार्डेस्ट प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन या मात्स्यकी व्यापार या मात्स्यकी या जलकृषि में अनुसंधान में योजनाओं या परियोजनाओं का निर्माण या कार्यान्वयन।
8.	पारिश्रमिक	निश्चित पारिश्रमिक 35000/- रूपये प्रति माह।
9.	छट्टी	प्रत्येक माह 1.5 संशुल्क अवकाश, अर्थात् वर्ष में कुल 8 (आठ) अवकाश।
10.	कार्य के घंटे	सामान्य कार्यालय समय प्रातः 9:00 बजे से सायं 5.30 बजे तक।  यदि आवश्यकता हुई तो कार्य की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय भी देना पड़ सकता है।
11।	अनुबंध की शर्तें	नियुक्ति 'हायर एंड फायर' के आधार पर होगी जो पूरी तरह से उनके कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगी।
12.	आवेदन कैसे करें	निर्धारित प्रारूप में आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अर्थात् शैक्षणिक योग्यता की प्रतिलिपि सहित निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है:  अवर सचिव ( प्रशासन ) मत्स्यपालन विभाग, प्रथम तल चंद्रलोक बिलिंग, जनपथ नई दिल्ली-110001  या  ईमेल: admn-fishery@dof.gov.in
13.	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि	इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 10 दिन के अन्दर।

01/07/2021

( कृष्ण पाल )

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफोन: 011-2331037

फा.सं.ए-43011/104/2022-प्रशासन.1

मत्स्यपालन विभाग

V. ማስታረች ቀነቶ

III. ዓይነት ቀነቶ

II. ማስታረች ቀነቶ

I. የሚቀበለው ቀነቶ

ማለያዊ ደንብዎች:

1.	በተዘጋጀ	10	ማንኛውም አገልግሎት የሚከተሉት ቀነቶ ይላ
9.	ቍጌ ቅ.		
8.	ቅርቡ መስቀል		
7.	የካሬ ቤት		
6.	ዓደባቤት የወጥ		
5.	ማንኛ		
4.	የሚቀበለው ቀነቶ		
3.	የወጥ		
2.	የተዘጋጀ		
1.	በተዘጋጀ		

ማለያዊ ደንብዎች ቀነቶ

### सामान्य नियम और शर्तें

- I. सलाहकार को किसी भी प्रकार के भत्ते और आवासीय सुविधा का अधिकार नहीं होगा। वे आवासीय टेलीफोन सुविधाओं, विभाग द्वारा स्वीकृत परिवहन भत्ते को छोड़कर परिवहन सुविधाओं और स्टाफ कार के भी हकदार नहीं होंगे।
- II. सलाहकार की नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध के आधार पर होगी।
- III. सलाहकार के लिए नियुक्ति अवधि शुरू में छह महीने की होगी। इस अवधि को विभाग के पूर्ण विवेक पर प्रदर्शन की समीक्षा के अधीन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उम्मीदवार की आयु 01.04.2024 तक 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- IV. सलाहकार एक कैलेंडर वर्ष के दौरान 08 दिनों की छुट्टी के लिए पात्र होगा। यदि अनुबंध की समाप्ति के समय इस विभाग द्वारा नियुक्ति अवधि बढ़ाई जाती है तो यह छुट्टी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
- V. अभ्यर्थी को सार्वजनिक खरीद हेतु सत्यनिष्ठा संहिता (सी.आई.पी.पी.) का पालन करने के लिए एक गैर-प्रकटीकरण वचनबद्धता और घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
- VI. यदि सलाहकार निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है या उसे सौंपा गया कार्य विभाग के लिए संतोषजनक नहीं है या उसमें ईमानदारी और निष्ठा की कमी पाई जाती है तो विभाग उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।
- VII. विभाग किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए सलाहकारों की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। सलाहकारों की नियुक्ति से किसी व्यक्ति को पद पर स्थायी नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
- IX. सलाहकारों को शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है या काम की अनिवार्यता के मामले में उन्हें कार्यालय में देर तक बैठने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा।
- X. साक्षात्कार में भाग लेने या नियुक्ति लेने के लिए सलाहकारों को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। सलाहकार को सरकारी खर्च पर किसी भी विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- XI. संविदा नियुक्ति नई दिल्ली स्थित मत्स्य पालन विभाग से संबद्ध होगी।
- XII. यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई घोषणा या दी गई सूचना झूठी पाई जाती है या यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई है, तो उसे नियुक्ति सेवा से हटाया जा सकता है तथा सरकार द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।